भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3820
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

चुनावों में फेशियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकी का उपयोग

3820. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निर्वाचन आयोग राज्यों के आगामी चुनावों में फेशियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकी (एफआरटी) शुरू करने की योजना बना रहा है;
(ख) क्या पूर्व में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों दोनों द्वारा एफआरटी का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया में एफआरटी का उपयोग करने की शक्ति प्राप्त है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो बिना किसी कानूनी समर्थन के चुनावों में एफआरटी के उपयोग के क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में एफआरटी शुरू करने से पहले नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के संबंध में गोपनीयता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जी नहीं ।
(ख) : उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के संबंध में प्रश्न ही नही उठता है । जहां तक राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध है उसके के लिए भारत सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व नहीं है ।
(ग) से (ङ) : उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता है ।

****